पत्रांक– 11 न0वि0 अभि0 (को0) 161/2017 1215 न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

मुख्य अभियंता,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, भागलपुर।

~~कार्यपालक अभियंता,~~
जिला शहरी विकास अभिकरण–सह–,
प्रभारी, नगर निगम, भागलपुर।

पटना, दिनांक 26/9/18

विषयः– ई–टेंडरिंग पद्धति द्वारा पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं0–01/2018–19 के ग्रुप सं0–01 के कार्य जैन मंदिर से नाथनगर चौक तक नाला एवं पी0सी0सी0 निर्माण कार्य के निविदा के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक ई–टेंडरिंग पद्धति द्वारा पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं0–01/2018–19 के ग्रुप सं0–01 के कार्य जैन मंदिर से नाथनगर चौक तक नाला एवं पी0सी0सी0 निर्माण कार्य के संबंध में दिनांक–13.07.2018 को विभागीय निविदा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार श्री विकास कुमार सिंह को तकनीकी बिड में सफल किया गया एवं वित्तीय बिड प्राप्त कर विभागीय निविदा समिति के समक्ष वित्तीय बिड पर निर्णय लेने हेतु उपस्थापित करने का निदेश दिया गया तथा निविदा पर लिया गया निर्णय CWJC No-9851/2018 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित अंतिम निर्णय के फलाफल पर निर्भर होगा।

उक्त के क्रम में यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में निविदा आमंत्रण सूचना सं0–07/2017–18 के ग्रुप सं0–01 के द्वारा आमंत्रित निविदा में द्वितीय न्यूनतम दरदाता श्री राजनंदन यादव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका CWJC No-9851/2018 दायर किया गया है। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–18.05.2018 को पारित आदेश में पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं0–01/2018–19 के अंतिम निर्णय पर रोक लगाया गया है।

अतः विभागीय निविदा समिति के निर्णयानुसार माननीय उच्च न्यायालय पटना के अंतिम निर्णय के फलाफल पर विषयांकित कार्य के निविदा के वित्तीय बिड पर निर्णय लिया जाना है।

विश्वासभाजन

मुख्य अभियंता,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

E:\V N File 2014\Bhagalpur\Bhagalpur Letter.docx